

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
परिवाद संख्या 42/2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री रमेश तुलसानी पुत्र श्री सेवकराम, मैसर्स- गणेश कार्नर, गणेश काम्पलेक्स, गंज थाने के सामने, अजमेर।
2. मैसर्स- गणेश कार्नर, गणेश काम्पलेक्स, गंज थाने के सामने, अजमेर।
3. श्रीमति पूजा सम्भवानी, सम्भवानी डिस्ट्रीब्यूटर्स, झूला मौहल्ला, डिग्गी बाजार, अजमेर (निवासी-डी-18, कीर्ति नगर, फॉयसागर रोड़, अजमेर)।
4. मैसर्स- सम्भवानी डिस्ट्रीब्यूटर्स, झूला मौहल्ला, डिग्गी बाजार, अजमेर
5. श्रीमति राजकुमारी चावला पत्नि श्री रमेश चन्द्र चावला, मैसर्स- पिक्स अचार भण्डार, 299, चौदपोल बाजार, जयपुर-302001 (निवासी-प्लॉट नं 2/680, मालवीय नगर, हाउसिंग बोर्ड, जयपुर)।
6. मैसर्स- पिक्स अचार भण्डार; 299, चौदपोल बाजार, जयपुर-302001

.....अप्रार्थीगण

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (11) एवं धारा 52 के तहत

- उपस्थित :
1. श्री वी0एस0 भाटी वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से।
 2. श्री नरेश अरोड़ा वकील अप्रार्थी संख्या 3 से 6 की ओर से।

:- आदेश :-

दिनांक-20.07.2016

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र में लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण ने मिसब्राण्ड शर्वत(पिक्स) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, विल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) अजमेर

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.04.2015 को सांय 06.10 पी0एम0 बजे खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स- गणेश कार्नर, गणेश काम्पलेक्स, गंज थाने के सामने, अजमेर पर पहुँचे श्री रमेश तुलसानी पुत्र श्री सेवकराम मौके पर उपस्थित मिले खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान आम जनता को अचार, शर्बत, तेल आदि विक्रय कर रहे थे। फर्म का निरीक्षण करने पर विक्रय हेतु शर्बत(पिंक्स) की 750-750 एम0 एल0 की बोटलें रखी हुई थी। शर्बत(पिंक्स) में मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जाँच हेतु शर्बत(पिंक्स) की 4 बोटल वास्ते नमूना जाँच हेतु 300/- रूपयें श्री रमेश तुलसानी को नगद देकर गवाह श्री वासुदेव शर्मा के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री रमेश तुलसानी को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा शर्बत(पिंक्स) की 1-1 बोटल के पैकेट बनाकर प्रत्येक पैकेट को भूरे कागज में लपेट कर कागज को दोने ओर गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक ए-977 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2015/6266 दिनांक 14.05.2015 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. एलएस/220/एक्ट /2015/220 दिनांक 20.04.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जाँच विक्रय किया गया शर्बत(पिंक्स) मिसब्राण्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 31.03.2016 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 01.04.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री रमेश तुलसानी व अन्य को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 20.07.2016 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 20.07.2016 को अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुये उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। अप्रार्थीगण ने जवाब नाटिस पेश कर कथन किया कि उपराक्त गलती अज्ञानता एवं जानकारी नहीं होने के कारण हुई है। अब इस गलती का निस्तारण कर चुके हैं तथा भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद मे उन पर लगाये गये आरोपो को स्वीकार करते हुए यह अनुरोध किया कि भविष्य में इस तरह की कोई गलती नही की जायेगी। उस पर कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रॉप किया जाये। चूकिं परिवाद के अप्रार्थीगण की ओर से उनके वकील ने न्यायालय हाजा मे उपस्थिति होकर अपना जुर्म कबूल किया तथा लिखित में जवाब प्रस्तुत किया एवं न्यूनतम शास्ती राशि लगाने हेतु निवेदन किया। अभियुक्त द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं परिवाद मे वर्णित गवाहान को साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नही समझा गया। परिवाद मे वर्णित



न्याय निपायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कमिश्नर (प्रशासन) अजमेर

तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजों खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विकृत किया गया शर्बत(पिक्स) गिसब्राण्ड होना पाया गया, जिसके लिए अभियुक्त दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री रमेश तुलसानी व अन्य द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) के तहत मिथ्याछाप पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में मिथ्याछाप पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगे। इस आशय का शपथ-पत्र भी उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त श्री रमेश तुलसानी व अन्य को जुमाने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि प्रार्थी अभियुक्त ने उस पर लगाये गये आरोप को स्वीकार कर भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया है। परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण अभियुक्त श्री रमेश तुलसानी व अन्य पर रु. 10000/- (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 20.07.2016 के एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 20.07.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(किशोर कुमार)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

दिनांक : 15.9.16

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2016/3520-23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
- 2- अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अजमेर।
- 3- श्री रमेश तुलसानी पुत्र श्री सेवकराम, मैसर्स- गणेश कार्नर, गणेश काम्पलेक्स, गंज थाने के सामने, अजमेर।
- 4- श्रीमति राजकुमारी चावला पत्नि श्री रमेश चन्द्र चावला, मैसर्स- पिक्स अचार भण्डार, 299, चॉदपोल बाजार, जयपुर-302001 (निवासी-प्लॉट नं० 2/680, मालवीय नगर, हाउसिंग बोर्ड, जयपुर)।

(किशोर कुमार)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर